

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015

क्रमांक :-एफ 4(18) अ.स.नि./अनुप्रति योजना /छात्रवृति/2018-19/

दिनांक :-

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
समस्त

विषय :- अनुप्रति योजना के पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले स्व:प्रमाणित दस्तावेज बाबत।

उपरोक्त विषयान्त लेख हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुप्रति योजना वर्ष 2018-19 में ऑनलाईन आवेदनों बाबत पोर्टल ओपन किया जा रहा हैं, जिसमें आवेदकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज स्व:प्रमाणित होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निदेशालय से पूर्व में जारी पत्रांक 9879-9911 दिनांक 07.07.2017 द्वारा भी निर्देश प्रदान किये गये थे, किन्तु प्रायः पालना नहीं की जा रही हैं। जिसके अभाव में मुख्यालय से जारी की जाने वाली स्वीकृति में अनावश्यक रूप से विलम्ब होने की संभावना रहती है।

अतः उक्त संबंध में निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, अन्यथा सम्पूर्ण प्रकार की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले स्व:प्रमाणित दस्तावेजो की सूची :-

01. मूल निवास प्रमाण-पत्र
02. अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण-पत्र
03. आय प्रमाण-पत्र :- राजस्व विभाग द्वारा (चार पेज का संलग्न परिपत्र) उदघोषणा पत्र दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत वाला मान्य होगा, जो छः माह से अधिक पुराना नहीं हो। (पोर्टल से अपलोड किया जा सकता है)
04. शैक्षणिक योग्यता अंकतालिका।
05. प्रतियोगी प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकतालिका।
06. कॉलेज आवंटन पत्र।
07. कॉलेज की फीस रसीद।
08. शपथ पत्र।(पोर्टल से अपलोड किया जा सकता है)

Sd
(पंकज प्रभाकर)
उपनिदेशक द्वितीय

क्रमांक :-एफ 4(18) अ.स.नि./अनुप्रति योजना /छात्रवृति/2018-19/13023-27

दिनांक :- 05/07/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर।
4. श्री राजीव गुजराल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज0, जयपुर को प्रेषित कर उल्लेख है कि छात्रवृति पोर्टल पर आंशिक संशोधन कर योजना से संबंधित समस्त दस्तावेजो अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को पत्र प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

(सुरज्ञान मीना)
सांख्यिकी अधिकारी